रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY Dt. .....

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 1994/आषाढ़ 17, 1916
No. 292] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 1994/ASADHA 17, 1916

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1994

सा. का. नि. 567 (अ).—केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं सा. का. नि. 679 (अ) तारीख 17 जुलाई, 1992 का और संशोधन करती है अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में.—

(i) खंड 8 में "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड 9 में "व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए भारत में रहे रहे व्यक्ति द्वारा धारित या अर्जित हों, लागू नहीं होता" शब्दों के स्थान पर "व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए भारत में रह रहे व्यक्ति द्वारा धारित या अर्जित हों ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड 9 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे अर्थात्

"(10) 8 जुलाई, 1947 से पूर्व अर्जित या प्राप्त विदेशी मुद्रा और उससे उद्भूत या प्रोद्भूत कोई आय जो रिजर्व बैंक की साधारण या विशेष अनुज्ञा से भारत में रह रहे किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर धारित हों ; और

(ii) भारत में रह रहे द्वारा भारत से बाहर धारित यथास्थिति खंड (3); या खंड (10) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से दान या विरासत के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा जिसमें उससे उद्भूत कोई आय सम्मिलित है ;

लागू नही होता है।

परन्तु दान की दशा में भारत में रह रहे व्यक्ति यथास्थिति खंड (3) या खंड (10) में निर्दिष्ट व्यक्ति का संबंधी है और दान या विरासत की बाबत किसी कर का संदाय कर दिया गया है ।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए व्यष्टि के संबंध में 'नातेदार' से पति, पत्नी, भाई या बहन या उस व्यष्टि के कोई पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज अभिप्रेत है।

[फा. सं. 10/22/90-एन. आर. आई. सेल]

वी. गोविन्दराजन, संयुक्त सचिव